

अंचल अधिकारी कराई का कार्यालय

अभिलेख क्रम संख्या- 46/2018-18

सदर पत्र प्रकार- विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(ii) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

आरखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 तदनुसार श्री अनूप मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सहायक सचिव राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमरूआ खारा भूमि की कायम की गयी जागबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- जिपुली थाना- 174 खाता संख्या- 55 प्लॉट संख्या-
- - - - - एकका 1.40 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खारा, अनाबाद विहार (आरखण्ड) सरकार के स्वामित्व की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के मंजी-11 के सिलब संख्या- 01 के पृष्ठ संख्या- 63 पर जमाबंदी रैयत बन्धु औरंग के नाम से कायम है।
5/0 कीलेगा औरंग

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को राद्दिग्न प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कौड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सारा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कायम करना है।



प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी जन्म प्रतीत होती है, जिसका विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(ii) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(ii) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 04/12/2018 को उपस्थापित करें।

संयोजित एवं समर्पित
अंचल अधिकारी


अंचल अधिकारी

| आदेश का क्रमांक / तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई पर टिप्पणी |
|------------------------|---|---------------------------|
| 05.12.20 | <p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत बुधू उराँव पिता कोलेया उराँव के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं० 224677 वर्ष 1993-94 प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा जीपुटोली, थाना नं० 174 के सर्वे खतियान में खाता सं० 55 रकबा 1.40 एकड़ भूमि गैरमजुरुआ खास दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी ii में खाता सं० 55 मधे रकबा 1.40 एकड़ भूमि बुधू उराँव पिता कोलेया उराँव के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। लगान रसीद नियमित नहीं है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल-कब्जा नहीं है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा जीपुटोली, थाना नं० 174 खाता सं० 55 मधे रकबा 1.40 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत बुधू उराँव पिता कोलेया उराँव के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा जीपुटोली, खाता सं० 55 मधे रकबा 1.40 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित।</p> <p> अंचल अधिकारी करा।</p> <p> अंचल अधिकारी करा।</p> | |